कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक—Q6 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनॉक 02.05.2020

कार्यालयीनआदेश

(आज दिनांक 02.05.2020 को पारित)

गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2020 के संदर्भ में राष्ट्रीय लॉक डाउन दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक पूरे देश में विस्तृत किया गया है। माननीय मुख्य न्याधिपति द्वारा पूर्व के परिपत्र कमांक क्यू—5 दिनांक 25.03.2020 तथा पश्चात्वर्ती परिपत्र कमांक क्यू—6 दिनांक 14.04.2020 एवं परिपत्र कमांक क्यू—7 दिनांक 20.04.2020 के कियान्वयन को परिपत्र नंबर क्यू—11 दिनांक 02.05.2020 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के कियान्वयन को दिनॉक 17.05.2020 तक विस्तार किया गया है।

अतः दिनॉक 14.04.2020 को इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र/आदेश को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 के परिपत्र कमांक क्यू—11 दिनांक 02.05.2020 के संदर्भ में दिनॉक 17.05.2020 तक विस्तृत किया जाता है। इस अवधि में सिर्फ अर्जेंट प्रकृति के अथवा आसन्न आकस्मिकता प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई पूर्वानुसार की जावेगी। अर्जेंट प्रकृति में सभी प्रकरणों के जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दनामा एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन शामिल रहेंगे।

sd/-
(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपिः—

1— रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील— सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6— जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समस्त आरक्षी केंद्र के प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

8— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजन अधिकारी, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

9— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

10— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

11— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

12— प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(बी0एस0भदौरिया)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

स्थान— छिंदवाड़ा,
दिनांक 02.05.2020